कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
4 – सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून – 248001

फोन न0 (0135) – 2712055, 2713551
फैक्स न0 (0135) – 2712014, 2713724

संख्या 506 /XXV–12 /2008 (P–4) देहरादून : दिनांक 23 मई, 2015

सेवा में,

श्री जी0सी0 पडलिया,
ग्राम–पाडली, पोस्ट–रातीघाट,
जिला– नैनीताल।

विषय:– **सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अर्न्तगत चाही गयी सूचना के संबंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक लोक सूचना अधिकारी, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या 226 दिनांक 23 मई, 2015 के साथ संलग्न आपके सूचना अधिकार अधिनियम से सम्बन्धित आवेदन पत्र दिनांक 05 मई, 2015 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम सें सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचनायें उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है। उक्त आवेदन पत्र के माध्यम से वांछित बिन्दु संख्या–02 मे चाही गयी लोक सभा एवं विधानसभा से संबंधित सूचना के क्रम में आपको रिटर्निंग ऑफिसर हस्तपुस्तिका के अध्याय–03 के पैरा– 3.6 की प्रति संलग्न प्रेषित है।

यदि आप उपरोक्त उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं से सन्तुष्ट न हों तो विभागीय अपीलीय अधिकारी के सम्मुख निम्न पते पर अपील प्रस्तुत कर सकते हैं:–

विभागीय अपीलीय अधिकारी एवं
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड, 04–सुभाष रोड़,
सचिवालय परिसर, देहरादून।

कृपया प्राप्ति स्वीकार करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(मस्तू दास)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी

leave or not, or who are otherwise on medical advice not to undertake any rigorous or hazardous work, from election duty.

3.4.3 Every female official called for election duty should be informed of the arrangements made for her stay. Unless arrangement is made and information in this behalf is furnished to such female official, she shall not be called to perform any election duty at any such place.

3.4.4 The female polling personnel should not be put on duty on the basis of computer randomization process. They should be put on duty by manual randomization by the observers in the neighbouring polling stations so that they are able to go to the polling stations in the morning of the poll day. (ECI Instruction No 464/inst/2009 dated 22-9-2009)

3.5 JUDICIAL OFFICERS

3.5.1 The employment of Judicial Officers for election work will be subject to the following conditions,

(a) The present practice of obtaining the prior approval of the High Court before engaging Judicial Officers for election work should continue;

(b) Civil Judicial Officers of and above the rank of District Munsif or any rank corresponding thereto will not be engaged for election work in any capacity;

(c) Judicial Magistrates may not be appointed as Sector Magistrates in charge of law and order duties or engaged as Presiding or Polling Officers of Polling Stations; and

(d) In States where there is no separation of judiciary and executive, Executive Magistrates may be put in charge of law and order work in connection with election; provided a sufficient number of them are left out for dealing with criminal cases arising out of the law and order situation relating to elections. In these states also, no Civil Judicial Officer should be detailed in any capacity for election work.

3.6 PHYSICALLY HANDICAPPED PERSONS

3.6.1 Physically challenged persons with disabilities as defined under the "Persons With Disabilities (Equal Opportunities Protection of Rights & Full Participation) Act, 1995 should not be deployed on election duty. In the case of physically handicapped persons (including visually handicapped and deaf and dumb persons), it may be

considered whether any handicapped person as aforesaid would be able to go to the polling station/counting centre and perform election duties there. If any a such person would not be in a position to perform election duties, he must be exempted subject to the satisfaction of the District Election Officer/Returning Officer.

3.6.2 The DEO and the RO shall make personal efforts to ensure that the special needs and requirements of the physically challenged persons are taken into account while choosing the polling station for deployment. It shall be ensured that they are not posted in any remote areas; rather they should invariably be posted at the polling stations located in the headquarters. This can be incorporated in the randomization software itself so that the database contains information about the physically challenged personnel, if any and if drafted on election duty those persons are not be posted in any difficult location even inadvertently.

3.6.3 The RO should make a special effort to identify such individuals at the time of training itself and personally meet and discuss with them in order to appreciate their nature of disabilities and limitations and decide the deployment. In case any such physically challenged person even inadvertently deputed to any difficult location, the RO should be in a position to make necessary change manually in consultation with the Observer(ECI Instruction No.464/INST/2008/EPS Dated 23rd December 2008)

3.7 PROPER MIXING OF POLLING PERSONNEL DRAWN FROM DIFFERENT OFFICES

3.7.1 In order to avoid any allegation of collusion among the polling personnel in favour of any candidate or political party and to instil confidence in minds of political parties and candidates free and fair elections, you should ensure a proper mix of polling personnel drawn from different offices and departments at the time of formation of a polling party. Further, the polling personnel should be drawn both from the State Government departments as well as the Central Government offices, as far as practicable. It is pertinent to mention that central govt. official must first be used for appointment as micro-observers and then, if available for proper mix as stated above.

3.7.2 No person shall be assigned polling duties in an assembly constituency where he is employed or resides. He should also not to be posted in his home constituency.

3.8 RANDOMIZATION OF POLLING PARTY

3.8.1 District Election Officer should obtain a complete database of officers eligible for polling party duties from respective authorities. All relevant information should be compiled into a database. The database should contain 125% of your total anticipated requirement of election staff.

विशेष वाहक द्वारा

राज्य निर्वाचन आयोग
उत्तराखण्ड

पत्रांक : 226 / रा.नि.आ.-1/1920/2015

दिनांक 23-05-2015

सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग

सूचना के अनुरोध को दूसरे प्राधिकारी को हस्तातंरण के लिए प्रपत्र

लोक सूचना अधिकारी/
अनुभाग अधिकारी,
कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

महोदय,

कृपया श्री जी0सी0 पडलिया, ग्राम–पाडली, पोस्ट–रातीघाट, जिला नैनीताल का सूचना का अनुरोध पत्र दिनांक 05.05.2015 जो राज्य निर्वाचन आयोग में दिनांक 23.05.2015 को लोक सूचना अधिकारी, कार्या0 आयुक्त निःशक्तजन उत्तराखण्ड, देहरादून से अन्तरित प्राप्त हुआ है, की छायाप्रति आपको इस आशय से प्रेषित है कि इसमें मांगी गई सूचना जो आपके विभाग से संबंधित हो, कृपया अनुरोधकर्ता को अपने स्तर से उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

इस पत्र की एक प्रति अनुरोधकर्ता को सूचनार्थ प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक–सूचना का अनुरोध पत्र की छायाप्रति

भवदीय,

(उदय सिंह रावत)
अनुभाग अधिकारी/
सहायक लोक सूचना अधिकारी।

संख्या– /रा0नि0आ0अनु–1/1920/2015 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– श्री जी0सी0 पडलिया, ग्राम–पाडली, पोस्ट–रातीघाट, जिला नैनीताल। पिन–263135

(उदय सिंह रावत)
अनुभाग अधिकारी/
सहायक लोक सूचना अधिकारी।

23/5/15 को प्राप्त।

निर्वाचन भवन, ग्राम लाडपुर
मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून (उत्तराखण्ड)

दूरभाष : 0135-2670457, 2670998
टैलीफैक्स : 0135-2670920, 2678945
ई-मेल : sec.uttarakhand@gmail.com

कार्यालय / न्यायालय आयुक्त निःशक्तजन, उत्तराखण्ड,

(निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 के अन्तर्गत स्थापित).

कार्यालय – मं.नं.–107, ब्लाक– I, धर्मपुर, देहरादून 248001 दूरभाष / टेलीफैक्स नं0 0135 .2669981 E-mail cduk@rediffmail.com

पत्र संख्या : 76 /आ0नि0ज0 / 2015–16
दिनांक : 19 मई, 2015

140
23/5/15

सेवा में,

श्री जी0सी0पडलिया,
ग्राम पाडली पो0–रातीघाट,
जनपद नैनीताल।

विषय– सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आपका अनुरोध पत्र इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है। जिसके कम में बिन्दुवार सूचना निम्नवत प्रेषित है–

1. बिन्दु प्रश्नवाचक है और इसमें जिज्ञासा को शांत करने हेतु प्रश्न पूछा गया है। सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जिज्ञासा को शांत करने का कोई प्राविधान नहीं है।
2. निर्वाचन कार्यालय से सम्बन्धित होने के कारण निर्वाचन विभाग हो हस्तांतरित किया जा रहा है।
3. सूचना धारित नहीं है।
4. प्राकृतिक आपदा के समय किसी भी कार्मिक से आवश्यकतानुसार कार्य लिया जा सकता है।
5. बिन्दु सं0 2,3, व 4 का उत्तर सम्बन्धित बिन्दुओं में दिया गया है।

यदि उक्त सूचना से आप संतुष्ट न हों तो
प्रथम अपीलीय अधिकारी / आयुक्त निःशक्तजन उत्तराखण्ड को
प्रथम अपील कर सकते हैं।

भवदीय

लोक सूचना अधिकारी
कार्या0 आयुक्त निःशक्तजन उत्तराखण्ड
देहरादून

प्रतिलिपिः– लोक सूचना अधिकारी–मुख्य निर्वाचन आयुक्त कार्यालय उतराखण्ड देहरादून को अनुरोध पत्र इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया अनुरोधकर्ता को सूचना उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-अनुरोध पत्र

लोक सूचना अधिकारी
कार्या0 आयुक्त निःशक्तजन उत्तराखण्ड
देहरादून

श्री नर्याल ARO
कृपया बिन्दु-2 पर
सूचना उपलब्ध कराने
हेतु आवश्यक कार्यवाही करें।
23/5/15

पंजीकृत

सेवा में,

दिनांक 05/05/15

लोक सूचना अधिकारी
आयुक्त,
निःशक्तजन, उत्तराखण्ड शासन
देहरादून।

विषय–सूचना अधिकार अधिनियम 2005 द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया विकलांग कर्मचारियों के हित में निम्न सूचना बिन्दुवार उपलब्ध कराने का कष्ट करें––

1) किसी विभागीय सेवारत विकलांग कर्मचारी से राष्ट्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत क्या–क्या कार्य लिये जा सकते है।

2) एक विभागीय सेवारत विकलांग कर्मचारी से निर्वाचन कार्य यथा– लोक सभा, विधान सभा, स्थानीय निकाय अथवा ग्राम पंचायत के चुनाव सम्बन्धी कार्य लिये जा सकते है अथवा नही, यँदि नही, तो कृपया उसके पुष्ट कारणों का उल्लेख करने का कष्ट करें।

3) एक विकलांग कर्मचारी भयंकर बरसात/बाढ के मौसम में आपदा कंट्रोल रुम में कार्य करने हेतु सक्षम है।

4) एक 50 प्रतिशत विकलांग कर्मचारी से प्राकृतिक आपदा कंट्रोल रुम में रात्रि अथवा दिन की ड्यूटी ली जा सकती है।

5) कृपया बिन्दु सं0 2, 3 व 4 के सन्दर्भ में उपलब्ध शासनादेश की प्रति उपलब्ध करानें का कष्ट करें।

अतः महोदय से विनम्र निवेदन है कि मांगी जा रही सूचना उपलब्ध कराने का कष्ट करेंगे।

सूचना अनुरोध पत्र के साथ रु0 10.00 का पोस्टल आर्डर सं0 **30F 020553.** संलग्न है।

(अनुरोध कर्ता)
जी0सी0 पडलिया
ग्राम–पाडली,पो0–रातीघाट
जिला–नैनीताल।
263135